

परिशिष्ट—दो

प्रपत्र-2

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के नियम-17 के उपनियम (5) को देखें:

पत्रांक : मान्यता (वि०) / आरटी०इ० / 8331-35 कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी(प्राथमिक) हरिद्वार।
सेवा में / 2019-20

दिनांक.

26/21 2020

अध्यक्ष / प्रबन्धक / संस्थापक,
सैन्ट एन्स स्कूल, रुडकी
विकासखण्ड - रुडकी
जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

विषय:

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की घारा 18 के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 17 में उपनियम (5) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड को कक्षा 01 से 08 तक (अंगेजी माध्यम) की विद्यालय संचालन हेतु पांच वर्षों दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2025 तक अवधि के लिये स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन में अधीन होगी-

1. मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा-8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा-1 में बच्चों को नामांकन की युल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पढ़ोंस के कमज़ोर एवं वयस्त समृद्धाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्ण प्रारम्भिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्ण प्रारम्भिक कक्षा के लिये भी किया जायेगा।
4. उपरोक्त क्रम संख्या-3 पर यांगेत बच्चों के मामले में विद्यालय को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की घारा 12 की उपधारा (2) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिये
5. संस्था / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान / कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जायेगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके नाता-पिता / अभिमादक का साक्षात्कार नहीं किया जायेगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के साद प्रदेश तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर मना नहीं करेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जायेंगे –
 - (एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्काशित किया जायेगा,
 - (दो) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक ढंड नहीं दिया जायेगा,
 - (तीन) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिये किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - (चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 35 के उपनियम के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा
 - (छः) शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम की घारा 23 की उपधारा (1) में उनके लिये निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे;
 - (सात) शिक्षक, अधिनियम की घारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राधिकारित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे, और
 - (आठ) शिक्षक, निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि (ट्यूशन) में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यवर्ष एवं पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की घारा 19 के प्राविधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप में छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की घारा 19 में उद्भूत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत होगा–
 - विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल;
 - कुल निर्मित क्षेत्र;
 - खेल के मैदान का क्षेत्र;
 - कक्षा-कक्षों की कुल संख्या;

- प्रधानाध्यापक—सह—कार्यालय—सह—मंडार कवा;
 - बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग—अलग शैक्षालय;
 - पेयजल की सुविधा;
 - मध्याहन भोजन के लिये रसोई—घर;
 - बाधारहित पहुँच;
 - शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल—कूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता।
11. इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनायें अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जायेगा। इस भवन/संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यावसायिक कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।
13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1880 (1880 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पश्चिक द्रष्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षा एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजा जायेगी।
16. आपके विद्यालय को आवृत्ति मान्यता कोड संख्या 1044 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्दृत किया जाए।
17. राज्य सरकार/मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय—समय पर मौगे गये प्रतिवेदन एवं सूचनायें, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की रार्टी की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय—समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
18. यदि रोसाइटी के पंजीकरण के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाये।
19. परिशिष्ट—चार के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।
20. यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवैहतना प्रभागित होती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह कि—

- यह कि शासनादेश संख्या 588 /XXUTV-3 / 17 / 01(11) 2017 के अनुपालन में जनपद के अन्तर्गत समस्त विद्यालय किसी भी छात्र/छात्रा के विद्यालय में प्रवेश हो जाने के उपरान्त प्रवेश शुल्क दोषारा न लिया जाये तथा कोशन मनी के नाम से कोई गया हो तो याहित धनराशि अभिभावकों को तत्काल वापस की जाये।
- पादय पुस्तकें और गणवेश आदि विद्यालय प्रांगण में टेन्ट लगाकर नहीं बैठी जायेंगी।
- जिला परियोजना कार्यालय—सर्व शिक्षा अभियान हरिद्वार द्वारा उपलब्ध कराये गये "लायस" प्रपत्र को भरना अनिवार्य होगा।
- विद्यालय का निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(प्रांशिल) हरिद्वार के द्वारा एक वर्ष के अन्दर किया जा सकता है आर०टी०इ० के मानक पूर्ण न होने पर मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

पृष्ठा
प्रतिलिपि—

मान्यता (बो) /आर०टी०इ०/833)-31/2019-20

दिनांक तदैत।

- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार।
- जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार।
- जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, हरिद्वार।
- खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड जनपद हरिद्वार।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रांशिल)
हरिद्वार।

(बहग्नपाल सिंह)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रांशिल)
हरिद्वार।